GST Hindi update on single AD code for Multiple ports

आज का यह update बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसा ही हमको जानकारी है कि Export करने के लिए हमें जिस port से Export करना है उस port से Authorised Dealer Code लेना होता है जो की हमारे IEC के आधार पर मिलता है। अलग अलग पोर्ट से Export करने के लिए हमें अलग अलग Authorised Dealer Code लेना पड़ता है पर इस सम्बन्ध में CBIC ने एक Advisory No 10/2022 दिनाँक 14 जून 2022 को issue किया है जिस से अब हमें केवल एक ही बार Authorised Dealer Code लेना होगा और वो ही सब ports पर काम आएगा।

इस Advisory के अनुसार एक्सपोर्टर को किसी भी एक पोर्ट पर Authorised Dealer Code के लिए ICEGATE ID या Custom House पर apply करना है। और उसकी इस application को उस Custom Department द्वारा approve किया जायेगा जहां उसने apply किया है। यह केवल एक बार का process होगा। इसके बाद अगर Exporter किसी और port से भी Export करता है तो उसे उस नए port पर फिर से Authorised Dealer Code के लिए apply करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार registration होने पर सभी port पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और यदि Authorised Dealer Code में कोई सुधार करना हो तो भी उस ही custom Department में application देनी होगी जहां से हमने पहले apply किया था। यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक्सपोर्टर की बिना जरूरत की compliance कम होगी तथा उससे राहत मिलेगी।